

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 477 / 2024

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
2. इन्द्राज पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. कमला पुत्री रामकुमार पति रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. करनेल पुत्र नसी जाति जाट निवासी धानोठी तहसील राजगढ़
5. कृष्ण कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. जगदीश पुत्र नरसीराम जाति जाट निवासी धानोठी तहसील राजगढ़
7. जगदीशचन्द्र पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. जमना पत्नि चैतराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
9. देवीलाल पुत्र नरसी जाति जाट साकिन धानोठी तहसील राजगढ़
10. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
12. रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
13. रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. श्योकरण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
15. सुट पत्नि कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर
16. सन्तोष देवी पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर
17. सुनील पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर
18. सुमन पत्नि हनुमान प्रसाद जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
19. हरिराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
20. हंसराम पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
21. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी


परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 15/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं 74/65 के ख.न. 202 की 10.3100 हैक्टर भूमि, ख.न. 221 की 0.0130 हैक्टर भूमि, ख.न. 293 की 12.1940 हैक्टर भूमि, ख.न. 331 की 4.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 350 की 5.5280 हैक्टर भूमि कुल 6 खसरेजात की 36.1790 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं. 74/65  ल 6 खसरेजात की 36.1790 हैक्टर भूमि में वादी सं. 1 अकेला 2631/36179 हिस्सा भूमि एवं वादी सं. 2 अकेला 10/143 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1094/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1151/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेली 1094/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5969/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 5693/361790 हिरसा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 4448/ /36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 अकेला 5693/361790 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेली 16/143 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेला 2930/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अकेली 12/715 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 अकेला 12/715 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 अकेला 2846/180895 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 13 अकेला 12/715 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 अकेला 1094/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 अकेली 12/715 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 अकेली 12/715 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेला 6/143 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 अकेली 1094/36179 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 19 अकेला 2846/180895 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 अकेला 5/143 हिस्सा भूमि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं 74/65 के ख.न. 202 की 10.3100 हैक्टर भूमि, ख.न. 221 की 0.0130 हैक्टर भूमि, ख.न. 293 की 12.1940 हैक्टर भूमि, ख.न. 331 की 4.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 350 की 5.5280 हैक्टर भूमि कुल 6 खसरेजात की 36.1790 हैक्टर भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।


विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं 74/65 के ख.न. 202 की 10.3100 हैक्टर भूमि, ख.न. 221 की 0.0130 हैक्टर भूमि, ख.न. 293 की 12.1940 हैक्टर भूमि, ख.न. 331 की 4.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 350 की 5.5280 हैक्टर भूमि कुल 6 खसरेजात की 36.1790 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


1. दयाराम पुत्र रावताराम हिस्सा— 2631/5161 जाति— जाट सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा , हनुमान प्रसाद पुत्र रावताराम हिस्सा— 2530/5161 जाति— जाट सा.देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर — ग्राम ललानिया खसरा न. 294 की 3.681 है. खसरा न. 293 की 1.480 है. कुल = 5.161 है0
2. जमना पत्नि चेताराम जाति— जांगिड सा. खरसण्डी खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.8810 है. खसरा न. 293 की 3.167 है. कुल = 4.048 है.
3. सुमन पत्नि हनुमान प्रसाद जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा — ग्राम ललानिया खसरा न. 293 की 0.360 है. खसरा न. 331 की 0.320 है. खसरा न. 350 की 0.414 है. कुल = 1.094 है.
4. हंसराम पुत्र सुखराम जाति— सुथार सा. खरसण्डी खातेदार — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.810 है. खसरा न. 293 की 0.455 है. कुल = 1.265 है.
5. कमला पुत्री रामकुमार पत्नि रामचन्द्र जाति— जाट सा.देह खातेदार — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.037 है. खसरा न. 350 की 1.057 है. कुल = 1.094 है.
6. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम हिस्सा— 1094/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, इन्द्राज पुत्र ख्याली हिस्सा— 1151/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा, करनेल पुत्र नरसी हिस्सा— 5969/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ केनरा बैंक शाखा नोहर, कृष्णकुमार पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5693/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार 5. जगदीश पुत्र नरसीराम हिस्सा— 4448/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ खातेदार , आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा, जगदीशचन्द्र पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5693/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, देवीलाल पुत्र नरसी हिस्सा— 2930/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ खातेदार, मीरा पुत्री कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. ललानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5692/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. ललानिया खातेदार, श्योकरण पुत्र ख्यालीराम हिस्सा— 1094/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार, सुट पत्नि कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, सन्तोष देवी पुत्री कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, सुनील पुत्र ओम प्रकाश हिस्सा— 1518/23517 जाति— जाट सा. लाखासर खातेदार, हरिराम पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5692/235170 जाति— जाट


 उपर्युक्त अधिकारी
 नोहर

सा. खरसण्डी खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर – ग्राम ललानिया
खसरा न. 293 की 6.732 है. खसरा न. 331 की 2.405 है. खसरा न. 350 की 4.057 है.
खसरा न. 221 की 0.013 है. खसरा न. 202 की 10.3100 है. कुल = 23.517 है. बाराणी
प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि
पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर
स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं
तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा
जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 15/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 477/2024

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
2. इन्द्राज पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. कमला पुत्री रामकुमार पति रामचन्द्र जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. करनेल पुत्र नसी जाति जाट निवासी धानोठी तहसील राजगढ
5. कृष्ण कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. जगदीश पुत्र नरसीराम जाति जाट निवासी धानोठी तहसील राजगढ
7. जगदीशचन्द्र पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. जमना पत्नि चेताराम जाति जांगिड़ साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
9. देवीलाल पुत्र नरसी जाति जाट साकिन धानोठी तहसील राजगढ
10. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
12. रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
13. रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. श्योकरण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
15. सुट पत्नि कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर
16. सन्तोष देवी पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर
17. सुनील पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर
18. सुमन पत्नि हनुमान प्रसाद जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
19. हरिराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर
20. हंसराम पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
21. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 477 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता सं 74/65 के ख.न. 202 की 10.3100 हैक्टर भूमि, ख.न. 221 की 0.0130 हैक्टर भूमि, ख.न. 293 की 12.1940 हैक्टर भूमि, ख.न. 331 की 4.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 350 की 5.5280 हैक्टर भूमि कुल 6 खसरेजात की 36.1790 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. दयाराम पुत्र रावताराम हिस्सा— 2631/5161 जाति— जाट सा.देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा , हनुमान प्रसाद पुत्र रावताराम हिस्सा— 2530/5161 जाति— जाट सा.देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर — ग्राम ललानिया खसरा न. 294 की 3.681 है. खसरा न. 293 की 1.480 है. कुल = 5.161 है0

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

2. जमना पत्नि चेताराम जाति— जांगिड सा. खरसण्डी खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.8810 है. खसरा न. 293 की 3.167 है. कुल = 4.048 है.
3. सुमन पत्नि हनुमान प्रसाद जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा — ग्राम ललानिया खसरा न. 293 की 0.360 है. खसरा न. 331 की 0.320 है. खसरा न. 350 की 0.414 है. कुल = 1.094 है.
4. हंसराम पुत्र सुखराम जाति— सुथार सा. खरसण्डी खातेदार — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.810 है. खसरा न. 293 की 0.455 है. कुल = 1.265 है.
5. कमला पुत्री रामकुमार पत्नि रामचन्द्र जाति— जाट सा.देह खातेदार — ग्राम ललानिया खसरा न. 331 की 0.037 है. खसरा न. 350 की 1.057 है. कुल = 1.094 है.
6. अमीलाल पुत्र ख्यालीराम हिस्सा— 1094/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, इन्द्राज पुत्र ख्याली हिस्सा— 1151/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा, करनेल पुत्र नरसी हिस्सा— 5969/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ केनरा बैंक शाखा नोहर, कृष्णकुमार पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5693/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार 5. जगदीश पुत्र नरसीराम हिस्सा— 4448/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ खातेदार , आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चक सरदारपुरा, जगदीशचन्द्र पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5693/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदारराहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, देवीलाल पुत्र नरसी हिस्सा— 2930/23517 जाति— जाट सा. धानोठीतहराजगढ खातेदार, मीरा पुत्री कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. ललानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5692/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. ललानिया खातेदार, श्योकरण पुत्र ख्यालीराम हिस्सा— 1094/23517 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार, सुट पत्नि कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, सन्तोष देवी पुत्री कृष्ण कुमार हिस्सा— 6072/235170 जाति— जाट सा. नोहर खातेदार, सुनील पुत्र ओम प्रकाश हिस्सा— 1518/23517 जाति— जाट सा. लाखासर खातेदार, हरिराम पुत्र मेहरचन्द हिस्सा— 5692/235170 जाति— जाट सा. खरसण्डी खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर — ग्राम ललानिया खसरा न. 293 की 6.732 है. खसरा न. 331 की 2.405 है. खसरा न. 350 की 4.057 है. खसरा न. 221 की 0.013 है. खसरा न. 202 की 10.3100 है. कुल = 23.517 है. बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक15/10/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर